झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–383 / 2019

मुरारी प्रसाद सिन्हा एवं अन्य ..... याचिकाकर्तागण

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं अन्य ..... विपक्षीगण

कोरम: **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए : श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता

03 / 10.12.2021 यह सिविल विविध याचिका, रिट याचिका (एस) संख्या 736 / 2019 में पारित दिनांक 03.04.2019 के आदेश में संशोधन के लिए दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के दावा पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, गिरिडीह है न कि जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, क्योंकि मामला माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से संबंधित है। वह प्रस्तुत करता है कि यह पर्याप्त होगा यदि डब्ल्यू0पी0 (एस0) वाद संख्या 736 / 2019 में दिनांक 03.04.2019 को पारित आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया जाता है और

याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया जाता है।

राज्य के वकील पेश होते हैं लेकिन वे उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध नहीं करते हैं।

उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 03.04.2019 के आदेश को संशोधित करके निम्नलिखित आदेश किया गया हैः कि

अब जिला शिक्षा अधिकारी, गिरिडीह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर कानून, नियमों और विनियमों और इस संबंध में तैयार किए गए परिपत्र के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करेंगे। दिनांक 03.04.2019 के आदेश में केवल उपरोक्त सीमा तक संशोधन किया गया है और आदेश का अन्व्य भाग जैसा है वैसा ही रहेगा।

यह सिविल विविध याचिका का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)